

सामान्य प्रशासन विभाग

भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के पदाधिकारियों का सिविल लिस्ट 2026 का पुस्तक रूप में मुद्रण हेतु अल्प अवधि कोटेशन संबंधी सूचना

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के पदाधिकारियों का सिविल लिस्ट 2026 का मुद्रण पुस्तक के रूप में कराया जाना है। उक्त सिविल लिस्ट का 325 (तीन सौ पच्चीस) प्रतियों का पुस्तक के रूप में मुद्रण कराये जाने हेतु कोटेशन आमंत्रित की जाती है। सिविल लिस्ट 2026 में 90 पृष्ठ होने की सम्भावना है, जिसके मुद्रण करने, उसका बंधन एवं बाईंडिंग कर कार्य स्थल पर पहुँचाने का कार्य सम्पादन करने हेतु इच्छुक कोटेशनदाताओं से कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन केवल निबंधित/रजिस्टर्ड डाक एवं हाथों-हाथ विभाग के प्राप्ति पटल पर दिनांक 22.01.2026 के अपराह्न 04:00 से दिनांक 27.01.2026 के अपराह्न 04:00 बजे तक स्वीकार किये जाएंगे। उक्त सिविल लिस्ट 2026 का स्वरूप निम्नवत् होगा:-

क्र०	पुस्तक का विवरण	पृष्ठों की संख्या (लगभग)/पुस्तकों की संख्या	कागज की गुणवत्ता
1	भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के पदाधिकारियों का सिविल लिस्ट 2026 (325 प्रतियों में मुद्रण)	90 / 325 प्रतियों में मुद्रण	मल्टीकलर 300 जी0एस0एम आर्ट पेपर लेमिनेशन सहित टेक्ट पेपर मल्टीकलर 130 जी0एस0एम0 आर्ट पेपर लेमिनेशन सहित छपाई, साईज ए4 बाईंडिंग

नोट:- 1. इसमें सभी प्रकार का निर्णय लेने का अधिकार विभागाध्यक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, पटना के पास सुरक्षित होगा।


2. पृष्ठों की संख्या कम या अधिक होने पर मूल्य में कमी या वृद्धि हो सकती है।

इस संबंध में कोई भी अन्य जानकारी प्रशाखा पदाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के मोबाईल संख्या-8709424052 पर उक्त अवधि में दिनांक 22.01.2026 के अपराह्न 04:00 से दिनांक 27.01.2026 के अपराह्न 04:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है।

विभागीय वेबसाईट <https://state.bihar.gov.in/gad/CitizenHome.html> पर इच्छुक कोटेशनदाताओं के अवलोकन हेतु उपलब्ध है।

नोट:-कोटेशन के साथ निम्न अभिलेख भी उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है:-

- (1) विगत 01 वर्ष का आयकर रिटर्न संबंधी अभिलेख
- (2) जी0एस0टी0 पंजीकरण से संबंधित अभिलेख
- (3) कार्यादेश निर्गत होने के 02 दिनों के अंदर शुद्धता की जाँच हेतु एक पुस्तक प्रारूप उपलब्ध कराते हुए कार्यादेश निर्गत तिथि के 02 दिनों के भीतर मुद्रण का कार्य सम्पन्न करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के पदाधिकारियों का सिविल लिस्ट 2026 विभाग को उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य होगा।



(राज किशोर प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव